

क्रमांक Q-15012/2/2022- सी पी डब्ल्यू
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(सीपी प्रभाग)

विषय: भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के संबंध में।

भारत सरकार ने भारत के आधिकारिक राजपत्र (egazette.gov.in) में निम्नलिखित मसौदा अधिसूचनाएँ प्रकाशित की हैं:

1. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पूर्व सहमति की अनिवार्य शर्त से कुछ श्रेणियों के उद्योगों/गतिविधियों को छूट पर विनियम {जी.एस.आर. 425(अ) दिनांक 19.07.2024}
2. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पूर्व सहमति की अनिवार्य शर्त से कुछ श्रेणियों के उद्योगों/गतिविधियों को छूट पर विनियम {जी.एस.आर. 421(अ) दिनांक 19.07.2024}
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति (अध्यक्ष की नियुक्ति, योग्यता एवं सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें), नियम, 2024 {जी.एस.आर. 422(अ) दिनांक 19.07.2024}
4. वायु अधिनियम की धारा 21ए और जल अधिनियम की धारा 27ए के तहत समान सहमति दिशानिर्देश {जी.एस.आर. 423(अ) दिनांक 19.07.2024}
5. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2024 {जी.एस.आर. 424(अ) दिनांक 19.07.2024}
6. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2024 {जी.एस.आर. 420(अ) दिनांक 19.07.2024}
7. पर्यावरण (संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2024 {जी.एस.आर. 418(इ) दिनांक 18.07.2024}

उपरोक्त सूचीबद्ध मसौदा अधिसूचनाओं में शामिल प्रस्तावों पर कोई टिप्पणी या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और पर्यावरण मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,



अलीगज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से लिखित रूप में ऐसा कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते पर: mishra.vp@gov.in या prasoan.tripathi76@gov.in टिप्पणी या सुझाव भेज सकता है।

CBC-13101/11/0007/2425



(वेद प्रकाश मिश्रा)

निदेशक